बीमल तिर्की बनाम राजेश कुमार साहु

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, राँची।

अनुसूची 14– फारम स0 562

आदेश–पत्रक

(देखे अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम, 129)

आदेश पत्रक ....से .... तक

जिला– राँची,   केस का प्रकार–एस0ए0आर0 अपील वाद सं0–84 / 2018–19

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई, कार्रवाई के बारे में टिप्पणी : तारीख सहित
	आदेश अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थित हैं। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं का तर्क सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। यह अपील वाद माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड द्वारा, डब्लु0 पी0 सी0 न0. 2812 / 2011 में पारित आदेश दिनांक 20 / 06 / 2018 के आलोक में एस0 ए0 आर0 वाद 49 / 2000–2001 में पारित आदेश दिनांक 22 / 8 / 2000 को चुनौती दी गयी है। माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड ने डब्लु0 पी0 सी0 न0.2812 / 2011 के आदेश के पारा 25 में यह आदेश पारित किया कि–This court further observes that if any fraud has been committed in SAR Case No-49/2000-01 by any of the parties, it is certainly open to the private party to take step in accordance with the law in connection with the said order passed in SAR Case No-49/2000-01 and this order will not came in the way of private party to take appropriate step. मननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड द्वारा पारित आदेश से यह स्पष्ट है की एस. ए. आर वाद संख्या 49 / 2000–2001 के विरूद्ध कोई अपील दायर नही कि गयी थी, और वर्तमान विपक्षी एस. ए. आर वाद संख्या 99 / 2001–2002 के विरूद्ध दायर एस. ए. आर अपील न0.–83 आर0 15 / 2008–09 आदेश दिनांक 30 / 5 / 2008 एवं एस. ए. आर अपील न0.138 आर 15 / 2002–03 / ए0 सी0 टी0 आर न0.22 आर 15 / 2003–04 के आदेश को निरसत किया था। विपक्षी माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्लॉट न0. 1290 के केवल 45 डी0 भूमि पर ही दावा किये थे उनके द्वारा स्पष्ट रूप से माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष कहा गया था कि प्लॉट न0.1247, 1248,1249 और 1250 से उनका कोई संबंध नही है।	

के पिता का भी नाम बदले। आर्शजनक रूप से एस. ए. आर. वाद संख्या 49/2000—01 दिनांक 17/5/2000 को दायर किया जाता है और दिनांक 22/8/2000 को अंतिम आदेश पारित कर दि जाती है। एस. ए. आर. वाद संख्या 49/2000—01 में किरता उरॉव कभी भी उपस्थित नही होता है और उसका जाली अंगुठे का निशान लगा दिया जाता है और जो बंधपत्र दाखिल किया जाता है उसमें भी हेराफेरी करके एक के जगह दूसरे के अंगुठे का निशान बना दिया जाता है। वर्तमान अपीलार्थीयो को इसकी जानकारी तब होती है जब विपक्षी प्रंपच से प्राप्त एस. ए. आर. वाद संख्या 49/2000—01 पारित आदेश के आधार पर अंचल कार्यालय में नामांतरण के लिए आवेदन करते है जिसका आवेदन संख्या 1547 आर 27/2001—2002 है जिसमें अंचलाधिकारी ने विपक्षी के आवेदन को इस आधार पर खारीज किया कि प्रतिवादी का प्रश्नगत भूमि पर दखल कब्जा नही है। इस आदेश के विरूद्व विपक्षी भू सुधार उप सामहर्ता रॉची के न्यायालय में दाखिल खारीज अपील वाद संख्या 12 आर 15/2002—2003 दायर किये जिससे सुनवाई के पश्चात तत्कालिन भू सुधार उप सामहर्ता रॉची दिनांक 9/9/2002 को खारीज कर दिया। भू सुधार उप सामहर्ता रॉची ने स्पष्ट रूप अपने आदेश में लिखा है कि **अपीलार्थी राजेश कुमार धोखाधडी करके आदिवासी भूमि हड़पने कि योजना बनाये है। अपीलार्थी ने एस. ए. आर. वाद संख्या 49/2000—01 में बताया कि यह भूमि इस्तीफा से प्राप्त हुआ और उसके पश्चात दिनांक 17/5/1945 को बंदोबस्ती से प्राप्त हुआ। अपीलार्थी न तो बंदोबस्ती और न ही इस्तीफा का कागज दाखिल किये इसका अर्थ है कि बंदोबस्ती और इस्तीफा के आधार पर कोई जमाबंदी कायम नही कि गयी थी। पंजी II में मंगरा उरॉव पिता गहना उरॉव के नाम से जमाबंदी चल रही हैं। वासुदेव साहु के नाम एक रसीद कि छायाप्रति दाखिल कि गयी जिसमें रकबा 50 डी0 दर्शाया गया है जो वर्ष 1992—93 के लिए निर्गत है लेकिन पंजी ?? में ऐसे किसी जमाबंदी कि प्रविृटि नही है इससे स्पष्ट होता है कि मामला आदिवासी भूमि पर धोखाधडी का है। वासुदेव साहु के नाम से कोई जमाबंदी पंजी II में कायम नही है साथ ही अंचलाधिकारी ने प्रश्नगत भूमि पर अपीलार्थी का दखल भी नही पाया है।**

इसके अतिरिक्त अपीलार्थी द्वारा यह बताया गया कि भू सुधार उप सामहर्ता रॉची के अपील वाद में पारित दिनांक 9/9/2002 के विरूद्व कोई रिविजन विपक्षी द्वारा दाखिल नही कि गयी लेकिन आशर्चजनक से विपक्षी 15 डी0 भूमि का नामांतरण अपने पुत्र रवि कुमार के नाम से दाखिल खारीज वाद संख्या 875 आर 27/2014—15 से करा लेते है और पुनः धोखाधडी करके वासुदेव साहु का भी नाम

के प्रकाशित फैसला 1994 (1) एस0 सी0 सी0 पृष्ट एक का भी उधरण दिया गया।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित डब्लु0 पी0 सी0 न0.2812/2011 के आदेश दिनांक 20/6/2018 के हवाला देते हुए, आदेश के पारा 24 कि ओर ध्यान आकृष्ट किया गया और बताया गया कि माननीय उच्च न्यायालय में दिनांक 31/5/2010 और 30/5/2008 के आयुक्त दक्षिण छोटानागपुर एवं अपर सामहर्ता राँची के आदेश को निरसत कर दिया है। इसलिए यह वर्तमान अपील वाद सुनवाई योग्य नही है।

दोनो पक्षो के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना और उनके द्वारा दाखिल लिखित बहस का भी अवलोकन किया। साथ ही एस. ए. आर. वाद संख्या 49/2000–01 एवं एस. ए. आर. वाद संख्या 1/1999 के सम्पुर्ण अभिलेख का आवलोकन किया। एस. ए. आर. वाद संख्या 1/1999 में खाता न0.31 प्लॉट न0. 1289 रकबा 60 डी0 प्लॉट न0.1290 रकबा 45 डी0 प्लॉट न0.1293 रकबा 10 डी0. कुल रकबा 62 डी0 भूमि के भू वापसी के लिए आवेदन कोलहा उरॉव, रमई उरॉव वो किरता उरॉव पिता स्व0 मंगरा उरॉव और सोमारी कच्छप पति जगरनाथ उरॉव द्वारा विपक्षी राजकिशोर साहु पिता वासुदेव साहु के विरूद्व छो0 कास्तकारी अधि0 कि धारा 71 ए के अन्तर्गत दायर कि गयी थी, इस वाद में विपक्षी राजकिशोर साहु दिनांक 19/7/1999 को उपस्थित होकर कारण पृच्छा दाखिल किये दिनांक 4/10/1999 को आवेदक कि गवाही हुई और दिनांक 25/10/2019 को विपक्षी राजकिशोर साहु कि गवाही हुई और प्रतिपरिक्षण के पश्चात उन्हे उनमुक्त किया गया दिनांक 3/11/1999 को दोनो पक्षो कि ओर उनके अधिवक्ताओं कि बहस सुनी गयी दिनांक 1/3/2000 को भू वापसी का आदेश पारित किया गया इस आदेश के विरूद्व कोई अपील दायर नही कि गयी पुनः दिनांक 17/5/2000 को खाता न0.31 प्लॉट न0.1289 रकबा 5 डी0, प्लॉट न0.1290 रकबा 35 डी0, और प्लॉट न0.1293 रकबा 10 डी0 के भू वापसी के लिए किरता उरॉव पिता स्व0 मंगरा उरॉव, रमई उरॉव पिता स्व. मंगरा उरॉव, कोलहा उरॉव पिता स्व0 घुरा उरॉव, विश्वनाथ कच्छप पिता स्व0 जगरनाथ कच्छप द्वारा छो0 कास्तकारी अधि0 कि धारा 71 ए के अन्तर्गत विपक्षी राजेश कुमार पिता वासुदेव साहु के विरूद्व वाद दायर कि जाती है, इस वाद का आदेश दिनांक 22/8/2000 को छो0 कास्तकारी अधि0 कि धारा 71 ए कि द्वितीय परन्तुक के अन्तर्गत कि जाती है। एस. ए. आर. वाद संख्या 1/1999 में भी विपक्षी राजकिशोर साहु दिनांक 17/5/1945 के बंदोबस्ती को जमीन प्राप्त करने का आधार बताते है और एस. ए. आर. वाद संख्या 49/2000–01 में भी विपक्षी राजेश कुमार दिनांक 17/5/1945 कि बंदोबस्ती का दावा करते है। दोनो ही बंदोबस्तीकर्ता का नाम वासुदेव साहु है। लेकिन एस. ए. आर. वाद संख्या 1/1999

हुए। आश्चर्य कि बात यह है कि एस. ए. आर वाद संख्या 1/1999 एवं एस. ए. आर वाद संख्या 49/2000–01 में आदेश पारित करने वाले तत्कालिन पदाधिकारी भी एक ही व्यक्ति हैं। एक ही भूमि के लिए दिनांक 1/3/2000 को भू वापसी का आदेश पारित किया जाता है और उसी भूमि के लिए दिनांक 22/8/2002 को क्षतिपुर्ती का आदेश पारित किया जाता है जो तत्कालिन पदाधिकारी द्वारा घोर अनियमितता एवं लापरवाही को दर्शाता है। भू सुधार उप समाहर्ता द्वारा दाखिल–खारीज अपीन वाद संख्या 12 आर 15/20002–03 आदेश दिनांक 9/9/2001–02 में यह स्पष्ट प्रतिवेदन प्राप्त है कि प्रश्नगत भूमि पर विपक्षी राजेश कुमार का दखल कब्जा नही है और भूमि परति है तो किन परिस्थितियों में विपक्षी को छो0 कास्तकारी अधि0 धारा 71 ए के द्वितीय परन्तु का लाभ दिया गया। निम्न न्यायालय द्वारा, बहुमूल्य आदिवासी भूमि के हस्तांरण के लिए विपक्षी को छो0 कास्तकारी अधि0 कि धारा 71 ए के द्वितीय परन्तुक का अनुचित लाभ दिया गया जो नियमानुकूल नही है। अतः एस. ए. आर. वाद संख्या 49/2000–01 में पारित आदेश दिनांक 22/8/2000 को निरस्त करते हुए अपील आवेदन स्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

अपर समाहर्त्ता
राँची।

अपर समाहर्त्ता,
राँची।

के वासुदेव साहु के पिता के नाम धिरचन्द साहु बताया गया जबकी एस. ए. आर. वाद संख्या 49/2000–01 में बंदोबस्ती लेने वाले वासुदेव साहु के पिता का नाम चन्दन साहु बताया गया है। राजकिशोर साहु और राजेश कुमार दोनो का पिता का नाम वासुदेव साहु बताया गया है। इन तथ्यों से यह स्पष्ट है कि राजेश कुमार और राजकिशोर साहु दोनो एक ही व्यक्ति है और विपक्षी को एस. ए. आर. वाद संख्या 1/1999 में पारित आदेश दिनांक 1/3/2000 कि पुर्ण जानकारी थी और इस तथ्य को छिपाकर पुनः एस. ए. आर. वाद संख्या 49/2000–01 दायर कराई जाती है जो पुर्णरूप से जालसाजी का मामला बनता है। माननीय उच्च न्यायालय पटना रॉची बेंच द्वारा रामचन्द्र साहु बनाम बिहार सरकार में दिये गये फैसले का उधरण इस मामले में पुर्णरूप से लागु होता है। there can be no doubt that by reason of such suppression of fact the respondent No. 5 purchase the authority under the Act to pass a palpably erroneous order under a misapprehension. इस सन्दंभ में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश 1994 एस० सी० सी० पृष्ट 1 में पारित आदेश उधरित करना न्याया उचित है। Finality of litigation cannot be pressed to the extent of such absurdity that become an engine of fraud in the hand of dishonest litigant. A fraud is an act of deliberate deception with the design of securing something by taking unfair advantage of another, it is a deception in order to gain by another's loss. It is cheating intended to get an advantage. A litigant, who approach to the court is bound to produce all documents.

इस सन्दंभ में उप सामहर्ता भू सुधारा रॉची द्वारा अपील वाद संख्या 12 आर 15 /2002–03 में पारित आदेश दिनांक 9/9/2002 में पारित आदेश भी इस वाद के लिए प्रसंगीक है जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि विपक्षी का दखल कब्ज नही था और भूमि खाली थी। वासुदेव साहु के नाम से कोई जमाबंदी भी कायम नही थी, अतः एस. ए. आर. वाद संख्या–49/2000–01 में तत्कालिन विशेष पदाधिकारी द्वारा किस आधार पर धारा 71 ए के द्वितीय परन्तुक के अन्तर्गत आदेश पारित किया गया ? तत्कालिन विशेष पदाधिकारी द्वारा एस. ए. आर. वाद संख्या 49/2000–01 में एक के अभिलेख का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि पुरी प्रकिया में अनियमतः बरती गयी है और मात्र विपक्षी को लाभ देने हेतु तथ्यो को छुपाकर आधाराहीन कागजो के आधार पर क्षतिपुर्ती कि राशी निर्धारित कि गयी है जबकी अभिलेख में जमीन अन्तरण का कोई कागजात विधि सम्मत नही है और न ही वर्ष 1969 के पुर्व के संरचना किये जाने का साक्ष्य उपल्बध है। दोनो अभिलेखो के देखने से यह स्पष्ट है कि विपक्षी तत्कालिन विशेष पदाधिकारी के साथ साठ–गाठ कर एस. ए. आर. वाद संख्या 49/2000–01 में आदेश पारित कराने में सफल

पंजी ॻ में प्रविृट करा लिया जाता है। इस प्रविृटि के लिए किसी सक्षम पदाधिकारी का आदेश प्राप्त नही है।

अपीलार्थी कि ओर से यह भी बतलाया गया कि राजकिशोर साहु और राजेश कुमार दोनो एक ही व्यक्ति है और यह व्यक्ति के पत्नि का नाम सुकरो कुजुर है और यह सुकरो कुजुर खतियानी रैयत के वारिश जगरनाथ उरॉव कि अपनी साली थी जिसे कोलहा उरॉव और जगरनाथ उरॉव प्लॉट न0. 1293 से 5 डी0 भूमि बिकी किया था, जिसके आधार पर सुकरो कुजुर के नाम से दाखिल खारीज वाद संख्या–1819 आर 27/1991–92 । इससे यह स्पष्ट है कि राजकिशोर साहु और राजेश कुमार एक ही व्यक्ति है और अपीलार्थी के परिवार के निकटता का लाभ उठाते हुए विपक्षी द्वारा ये जालसाजी कि गयी है।

माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड ने स्पष्ट रूप से आपने आदेश में लिखा है This court further observes that if any fraud has been committed in SAR Case No-49/2000-01 by any of the parties, it is certainly open to the private party to take step in accordance with the law in connection with the said order passed in SAR Case No-49/2000-01 and this order will not came in the way of private party to take appropriate step.

यह अपीलार्थी लगातार जालसाजी होने कि जानकारी हेाने के बाद न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखते रहे है लेकिन तकनिकी कारणो से माननीय उच्च न्यायालय ने अपर सामहर्ता रॉची द्वारा पारित एस. ए. आर. अपील वाद संख्या 83 आर 15 /2008–09 आदेश दिनांक 11/01/2010 एवं रिविजन वाद संख्या 8/2010 आदेश दिनांक 31/5/2010 को निरसत करते हुए यह आदेश पारित किया कि यदि एस. ए. आर. वाद संख्या 49/2000–01 में पारित आदेश दिनांक 17/5/2000 में यदि किसी प्रकार का छल प्रपंच या धोखाधडी किया गया है तो स्वंतत्र पक्षकारो को उचिल कानूनी कारवाई करने का अधिकार होगा। माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड द्वारा डब्लु0 पी0 सी0 न0.2812/2011 में पारित आदेश दिनांक 20/6/2018 किसी प्रकार का कोई वेवधान पैदा नही करेगा।

एस. ए. आर. वाद संख्या 1/1999 और एस. ए. आर. वाद संख्या 49/2000–01 के दोनो अभिलेखो को देखने से स्पष्ट है प्रतिवादी धोखाधडी करके न्यायालय से आदेश प्राप्त किये है जबकी एस. ए. आर. वाद संख्या 1/1999 में अंतिम ओदश दिनांक 01/03/2000 को हो चुका था। इस बात कि जानकारी रहते हुए पुनः अपीलार्थी का नाम का उपयोग करते हुए एस. ए. आर. वाद संख्या 49/2000–01 दर्ज किया जाता है और आदेश प्राप्त कर लिया जाता है। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा पारित रामचन्द्र साहु बनाम बिहार सरकार के प्रकाशित फैसला 1991 में बी0 एल0 जे0 पृष्ट 124 एवं माननीय उच्चतम न्यायालय

इस अपील वाद के विपक्षी को विधिवत नोटिस निर्गत किया गया जो इस वाद में उपस्थित होकर अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपना पक्ष रखे है। उभय पक्ष के अधिवक्ताओं को सुना।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि एस.ए.आर. वाद संख्या 49/2000–2001 में विपक्षी द्वारा जालसाजी करके एवं धोखाधडी से षडयंत्र करके आदेश दिनांक 22/08/2000 को विशेष विनियम पदाधिकारी श्री ए.के द्विवेदी के न्यायालय से प्राप्त किया गया है। एस. ए. आर वाद संख्या 1/1999 के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि एक यह वाद दिनांक 15/5/1999 को दायर किया गया था जिसके आवेदक कोलहा उरॉव, रमई उरॉव वो किरता उरॉव पिता मंगरा उरॉव और सोमारी कच्छप पति जगरनाथ उरॉव मौजा–हिनु के खाता न0.31 प्लॉट न0. 1289 रकबा 7 डी0, प्लॉट न0.1290 रकबा 45 डी0 और प्लॉट न0.1293 रकबा 10 डी0 कुल रकबा 62 डी0 के भू वापसी के लिए विपक्षी राजकिशोर साहु पिता स्व0 वासुदेव साहु के विरूद्ध छो0 ना0 कास्तकारी अधि0 कि धारा 71 ए के अन्तर्गत दायर कि गयी थी। एस. ए. आर. वाद संख्या 1/1999 में विपक्षी राजकिशोर साहु को नोटिस निर्गत किया गया जो उपस्थित होकर दिनांक 19/7/1999 को अपना कारण पृच्छा दाखिल किये थे इस वाद में विपक्षी राजकिशोर साहु कि गवाही दिनांक 28/10/1999 को हुई और दोनो पक्षो के सुनवाई के पश्चात भू वापसी का आदेश दिनांक 1/3/2000 को पारित किया गया। आदेश पारित होने के बाद पुनः इसी भूमि के भू वापसी के लिए अपना नाम राजेश बदलते हुए पुनः अपने उपर एस. ए. आर वाद संख्या 49/2000–01 दर्ज करा लेता है। यह केस दिनांक 11/5/2000 को दर्ज किया जाता है, और इस वाद में भी किरता उरॉव पिता मंगरा उरॉव रमई उरॉव पिता मंगरा उरॉव, कोलहा उरॉव पिता भुरा उरॉव और विश्वनाथ कच्छाप पिता स्व0 जगरनाथ कच्छप को आवेदक के रूप में नामित किया गया। अपीलार्थी का कहना है कि राजकिशोर साहु और राजेश कुमार एक ही व्यक्ति है जिसके पिता का नाम वासुदेव साहु है। एस. ए. आर. वाद संख्या 1/1999 में जो कारण पृच्छा दाखिल कि गयी थी उस में यह बताया गया था कि वासुदेव साहु को विवादित भूमि दिनांक 17/5/1945 को प्राप्त हुई। एस. ए. आर. वाद संख्या 49/2000–01 में जो कारण पृच्छा दाखिल कि गयी उसमें भी यही बात बताया गया कि वासुदेव साहु यह भूमि दिनांक 17/5/19[illegible] को बंदोबस्ती से प्राप्त हुआ। एस. ए. आर. वाद संख्या 1/1999 में दाखिल कारण पृच्छा में वासुदेव साहु के पिता का नाम धिरचन्द साहु बताया गया जबकी एस. ए. आर. वाद संख्या 49/2000–01 में बंदोबस्ती पाने वाले वासुदेव साहु के बाप का नाम चन्दन साहु बताया गया इससे यह स्थापित एवं प्रमाणित होता है कि प्रतिवादी जालसाजी करके अपने नाम को बदले एवं अपने पिता

Digitally signed by RAM NARAYAN SINGH
Date: 2024.02.17 16:24:47 +05:30
Location: 192.168.2.175